

Form No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गोविन्दगढ़ जिला-अलवर

21.5.25

बनाम

कामेश्वर 911

प्रकरण सं.

2/19/2025

तारीख रजू

03.04.2025

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ |
|------------|--|---------------------------------|
| 3.4.25 | <p>वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 दर्ज रजिस्ट्रर हो। अप्रार्थीगण/ गैरसायलान को जयें रजिस्टर्ड डाक नोटिस तलब हो। पत्रावली वास्ते तलवी दिनांक 28.4.25 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़(अलवर)</p> | |
| 28.4.25 | <p>पत्रावली वास्ते तलवी दिनांक 28.4.25 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०</p> | |
| 5.5.25 | <p>पत्रावली वास्ते तलवी दिनांक 26.5.25 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०</p> | |
| 26.5.25 | <p>पत्रावली पेश। P.O. साहब R.O. मिर्जा</p> <p>पत्रावली दिनांक 26.5.25 को पेश हो।</p> <p>रजि</p> | |

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय
इनिशियल जज

नम्बर
अ
ज

09.6.25

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वाले
तककी आपाज फांज 03.7.25 को पेश है।

उपस्थंड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

03.7.25

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वाले तककी व्यापकित में
अंतिम मोफा फांज 05.8.25 को पेश है।

उपस्थंड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

05.8.25

पत्रावली पेश हुई। वकील सखी अनुपस्थित।
वकील सखी को अफागीजिन की तककी हेतु
व्यापकित में अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली
फांज 09.8.25 को पेश है।

उपस्थंड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

12.8.25

पत्रावली पेश हुई। वकील सखी अनुपस्थित।
वकील व उनके सखीजिन को व्यापकित हेतु
बोट-बोट आवाज लगावनी जरी इसके लावपुव
वकील व उनके सखीजिन उपस्थित नहीं आये।
अतः सखीना फा-212 राज वकील व उनके
सखीजिन की अफाज फेरी-अफाज हाजरी में
रजाविय फांज जाता है। पत्रावली के मसख सुभार
हीनर मसख से कृप ले। जाह तककील मसख
वाह के साथ संबन्ध है।

उपस्थंड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०